न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, IAS
पत्रावली संख्या : 19/20 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2020/00072

अनवान्

1. श्री विशाल पिता मोहनलाल जाट नाबालिग बविलायत माता रामीबाई पत्नी मोहनलाल जाट निवासी बडगांव तह. मावली।
2. सुश्री खुशी पुत्री मोहनलाल जाट नाबालिग बविलायत माता रामीबाई पत्नी मोहनलाल जाट निवासी बडगांव तह. मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता कालु जाट निवासी बडगांव तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का बडगांव तह. मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तह. मावली।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 16.03.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 2332 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 व खातेदार उदयलाल, शान्ता, कमला, ऐजी पिता कालु, घीसीबाई बेवा कालु जाट के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित है। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1998 रकबा 4 बिस्वा उक्त आ.चा. (कुआ) वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 व खातेदार उदयलाल, शान्ता, कमला, ऐजी पिता कालु, घीसीबाई बेवा कालु जाट के नाम संयुक्त रूप से अंकित हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर [illegible] 1904 किता 3 रकबा 19 बिस्वा उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 व खातेदार उदयलाल, शान्ता, कमला, ऐजी पिता कालु, घीसीबाई बेवा कालु जाट के नाम संयुक्त रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:06:47 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 2342 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 व खातेदार उदयलाल, शान्ता, कमला, ऐजी पिता कालु, घीसीबाई बेवा कालु जाट के नाम संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित हैं।

2. यह कि हम उभय पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

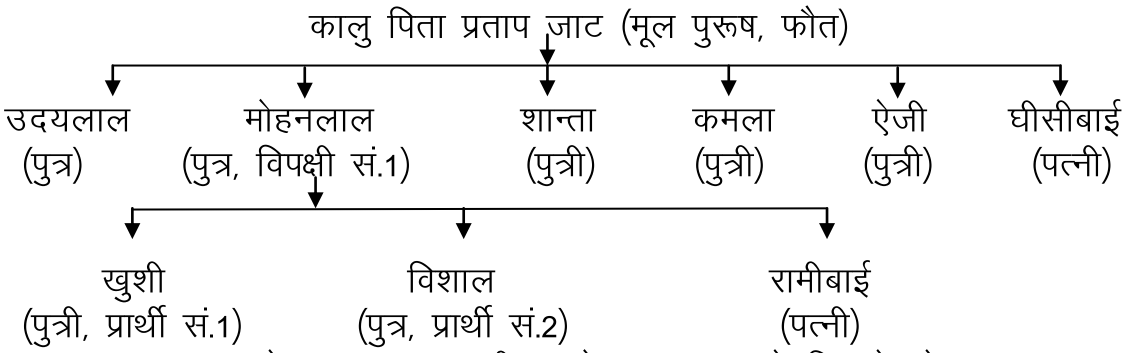

उक्त सजरे अनुसार कालुजी हमारे मूल पुरूष थे जिनके दो पुत्र उदयलाल, मोहनलाल (विपक्षी सं. 1) एवं तीन पुत्रीयां शान्ता, कमला, ऐजी हुए एवं पत्नी घीसीबाई हैं। मोहनलाल (विपक्षी सं. 1) के वारिस पुत्र विशाल (प्रार्थी सं. 1), पुत्री खुशी (प्रार्थी सं. 2) तथा रामीबाई (पत्नी) हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व की राजस्व जमाबन्दीयों में हमारे मौरूस कालु पिता प्रतापजी जाट (जो हम प्रार्थीगण के दादा है) के नाम पर दर्ज थी तथा हमारे मौरूस कालु पिता प्रतापजी जाट के निधनोपरान्त उक्त भूमियां विरासत से विपक्षी सं. 1 व अन्य वारिसान विपक्षी सं. 2 से 6 के नाम पर अंकित हुई जिससे विपक्षी सं. 1 जो हमारे पिता है, के नाम दर्ज कृषि भूमि हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और उक्त भूमियों में अपने पिता विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमियों में अपने हिस्सा भूमि पर हम प्रार्थीगण अपनी माता के साथ काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

4. यह कि उक्त वर्णित भूमि हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति हैं जिसमें हम प्रार्थीगण को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा हम प्रार्थीगण का अपने पिता विपक्षी सं. 1 के नाम पर अंकित हिस्सा भूमि पर अपने हक हिस्सेनुसार काबिज है अर्थात हम प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में 1/3,–1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे हक हिस्से की भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर अंकित है और विपक्षी सं. 1 आदतन नशेडी प्रवृति का इन्साफ है। अपने व्यसनों की पूर्ति हेतु बहकावें में आकर लोभ लालच से वशीभूत होकर हमें हमारे हक हिस्से से वंचित करने की बदयान्ति से अपने नाम पर अंकित सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:56:47 IST
Reason: SelfAttested

बुर्द करने पर आमादा हो रहे हैं और नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं जबकि विपक्षी सं. 1 को अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट (अ,ब,स,द) में वर्णित आराजीयात में विपक्षी सं. 1 के नाम अंकित भूमि जो हमारी पैतृक कृषि भूमि है, उसमें अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी हक की घोषणा करा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाने के अधिकारी हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय आपमें यह वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण का मजबूत प्रथम दृष्टया मामला हैं। क्योंकि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट (अ, ब, स, द) में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी सं. 1 के नाम अंकित भूमि हमारी पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से ही हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् अधिकार प्राप्त हो गये हैं। लेकिन हमारे हक हिस्से की भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा अपने व्यसनों की पूर्ति हेतु एवं हमको हमारे जायज हक व अधिकारों से वंचित करने की नियत से विपक्षी सं. 1 भू दलालों के सिखावें एवं बहकावे में आकर कुलिया भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहा है और भू दलाल निरन्तर विपक्षी सं. 1 को जमीन हस्तान्तरित करने हेतु उकसा रहे हैं। जबकि विपक्षी सं. 1 को अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दलखन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से विपक्षी सं. 1 अपने व्यसनों की पूर्ति के लिए हमारी पैतृक जमीन को नाजायज तरीके से हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द कर देगा जिससे हम प्रार्थीगण को अपरिमित एवं अतुलनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

6. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 12.10.20 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थीगण को हमारे हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं अपने नाम अंकित कृषि भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:06:47 IST
Reason: SelfAttested

करने की धमकी दी और समझाईश करने पर भी नहीं माने तब उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अतः प्रार्थना है कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट (अ,ब,स,द) में वर्णित आराजीयात में अपने नाम अंकित भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हम प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, उक्त कार्य न स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु विपक्षी सं. 4 के समक्ष प्रस्तुत करे तो विपक्षी सं. 4 ताफैसला मूल वाद पंजीयन नहीं करे, विपक्षी सं. 2, 3 ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 व अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रकरण में प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

2. *सुविधा का संतुलन–* चूंकि वाद वर्णित भू[illegible] विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुआ है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:06:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि वाद वर्णित भूमि के विपक्षी सं. 1 व अन्य सहखातेदार खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुआ हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर बगौर मनन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है उसी के साथ यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के पुत्र/पुत्री हैं। वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होकर विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 HUF का कर्ता खानदान होने से विपक्षी सं. 1 को अपने परिवार की जायज जरूरतों के लिए अपने नाम दर्ज भूमि को उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुए हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 1 खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.17 18:06:47 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली